

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

Office Order No. 53 of 2011

**Sub: Allocation of Work to the Ministers of State
in the Ministry of Railways**

Consequent upon the assumption of charge of Minister of Railways by Shri Dinesh Trivedi, it has been decided that following items of work will be handled at the level of Ministers of State for Railways subject to overall superintendence and guidance of the Union Minister of Railways.

Shri Bharatsinh Solanki, Minister of State for Railways- MSR(B)

- i) Cases regarding write off of losses over Rs. 10 lakhs but upto Rs. 10 crores in value in respect of S&T and Mechanical Departments.
- ii) Replies to unstarred Questions in Rajya Sabha along with Resolutions, Assurances and Monitoring of Assurances. However, replies to such unstarred questions will be put up to MR for his approval through MSR(B).
- iii) Incentive Schemes for Production Units.
- iv) Labour Legislation.
- v) Complaints regarding passenger trains.
- vi) Ticket Checking.
- vii) Cleanliness and general upkeep of railway premises.
- viii) Staff Welfare – Holiday Homes, Canteens, Co-operative Societies, Family Planning, Beautification of Railway Premises.
- ix) Staff Grievances.
- x) Approval of items for inclusion of Machinery and Plant costing individually between Rs. 50 lakhs and upto Rs. 5 crores.
- xi) DAR cases of Group B, C & D Categories of staff of Mechanical and S&T Departments where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing Authority.
- xii) Social Education.

Continued/-

- xiii) Cases in which it is proposed not to agree to proposals approved by Ministers of State (not holding independent charge) or Dy. Ministers in other Ministries.
- xiv) Review of progress of Railway Works including Railway Colonies in the States of Gujarat, Tamil Nadu, Chhatisgarh, Bihar, Jharkhand, Uttrakhand & Assam. After visits to States, reports be sent to MR.
- xv) Review of PSUs: CONCOR. Review of PUs: ICF, RCF and RWF
- xvi) Approval of items for inclusion of Rolling Stock Programme costing individually between Rs 50 lakhs and upto Rs 5 crores.
- xvii) Consultancy Contracts of value more than Rs 10 crore and upto Rs 15 crore per case in respect of Civil Engineering, Mechanical, S&T and Electrical Department including Railway Electrification and Stores for Mechanical and S&T Departments.
- xviii) Cases of procurement of stores of the value upto Rs 100 crores pertaining to Electrical Department.
- xix) Punctuality of trains.
- xx) Safety and Security of Railways.
- xxi) Passenger Services and Passenger Amenities.
- xxii) Official Language.

Shri K.H.Muniyappa, Minister of State for Railways- MSR(M)

- i) Cases regarding write off of losses over Rs. 10 lakhs but upto Rs. 10 crores in value in respect of Civil Engg. & Electrical Deptt. including RE.
- ii) Incentive Schemes for Workshops.
- iii) Level crossings, ROB/RUB.
- iv) Complaints regarding goods traffic including POL.
- v) Intermodal Traffic.
- vi) Replies to Unstarred Questions in the Lok Sabha alongwith Resolutions, Assurances and monitoring of Assurances. However, replies to such unstarred Questions and all Starred Questions will be routed through MSR(M) and put up to MR for approval.
- vii) Staff Welfare – Hospitals & Educational facilities.

- viii) Cases related to Pay Commission.
- ix) Engagement of Lawyers for conduct of Central Government cases at a fee of more than Rs. 1050/- per day in the Supreme Court or elsewhere.
- x) Afforestation.
- xi) DAR cases of Group B, C & D Categories of staff of other than those of Mechanical and S&T Departments where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing Authority.
- xii) Cases of procurement of stores of the value upto Rs 100 crores pertaining to S&T Department.
- xiii) Review of PSUs: KRCL. Review of PUs: DLW and DMW
- xiv) Review of progress of Railway Works including Railway Colonies in the States of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan, Haryana & Madhya Pradesh. After visit to States, reports be sent to MR.
- xv) Public Grievances.

2. All files related to above items of work of the Ministers of State for Railways will be submitted for MR's approval.

3. All the matters not expressly allocated to the Ministers of State shall be the direct concern of Hon'ble Minister.

No. 2009/O&M/8/2

Dated: 29/7/2011


(V.K.Gupta)
Secretary/Railway Board.

All Officers and Branches in Board's Office and Metro Bhawan Pragati Maidan.

Copy to:-

ED/MR, EDPG/MR & PS/MR
PS/MSR(M), EDPG/MSR(M)
PS/MSR(B), EDPG/MSR(B)

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units etc
DG/RDSO, DG/RSC.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

2011 का कार्यालय आदेश सं. 53.

विषय: रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्रियों को कार्य का आबंटन।

श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा माननीय रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित मदों से संबंधित कार्य रेल राज्य मंत्रियों के स्तर पर देखें जाएंगे जो केन्द्रीय रेल मंत्री के समग्र अधीक्षण और मार्गनिर्देश के अधीन होंगे।

श्री भरतसिंह सोलंकी, रेल राज्य मंत्री (बी)

- (i) सिगनल एवं दूरसंचार और यांत्रिक विभागों के 10 लाख रुपए से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपए तक के मूल्य की हानियों को बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामले।
- (ii) संकल्पों, आश्वासनों तथा आश्वासनों की मॉनिटरिंग सहित राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। बहरहाल, ऐसे अतारांकित प्रश्नों के उत्तर रेल राज्य मंत्री (बी) के माध्यम से रेल मंत्री को उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (iii) उत्पादन इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं।
- (iv) श्रम कानून।
- (v) पैसेंजर गाड़ियों से संबंधित शिकायतें।
- (vi) टिकट चैकिंग।
- (vii) रेलवे परिसरों की सफाई और सामान्य रख-रखाव।
- (viii) कर्मचारी कल्याण-अवकाश गृह, कैंटीन, सहकारी समितियां, परिवार नियोजन, रेलवे परिसरों को सुन्दर बनाना।
- (ix) कर्मचारियों की शिकायतें।
- (x) 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली मशीनरी एवं संयंत्र में शामिल की जाने वाली अलग-अलग मदों का अनुमोदन।

- (xi) यांत्रिक और सिगनल एवं दूरसंचार विभागों के ग्रुप "बी", "सी" एवं "डी" कोटियों के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों से संबंधित ऐसे मामले, जिनमें राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षणकर्ता प्राधिकारी हों।
- (xii) सामाजिक शिक्षा।
- (xiii) ऐसे मामले जिनमें अन्य मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों (जिनके पास स्वतंत्र प्रभार न हो) अथवा उप मंत्रियों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों से सहमति व्यक्त न करने का प्रस्ताव किया गया हो।
- (xiv) गुजरात, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड एवं असम राज्यों में रेलवे कॉलोनियों सहित रेलवे संबंधी कार्यों की प्रगति की पुनरीक्षा। राज्यों का दौरा करने के बाद, रिपोर्ट रेल मंत्री जी को भेजी जाएं।
- (xv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों : कानकोर की समीक्षा, उत्पादन कारखानों : सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्ट्री एवं रेल पहिया कारखाना की समीक्षा
- (xvi) 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाले रोलिंग स्टॉक कार्यक्रमों में शामिल की जाने वाली अलग-अलग मदों का अनुमोदन।
- (xvii) रेल विद्युतीकरण और यांत्रिक तथा सिगनल एवं दूरसंचार विभागों के भंडारों सहित सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार और बिजली विभाग के संबंध में 10 करोड़ रुपए से अधिक और 15 करोड़ रुपए तक के प्रत्येक मामले से संबंधित परामर्शदायी ठेके।
- (xviii) बिजली विभाग से संबंधित 100 करोड़ रुपए तक के मूल्य के भंडार की खरीद के मामले।
- (xix) गाड़ियों का समयपालन।
- (xx) रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा।
- (xxi) यात्री सेवाएं और यात्री सुविधाएं।
- (xxii) राजभाषा।

श्री के.एच. मुनियप्पा, रेल राज्य मंत्री (एम)

- (i) रेल विद्युतीकरण सहित सिविल इंजीनियरी और बिजली विभाग के 10 लाख रुपए से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपए तक के मूल्य की हानियों को बड़े खाते में डालने से संबंधित मामले।
- (ii) वर्कशॉपों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं।
- (iii) समपार, ऊपरी सड़क पुल/निचला सड़क पुल।
- (iv) पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पोल) सहित माल यातायात से संबंधित शिकायतें।
- (v) इंटरमॉडल यातायात।
- (vi) संकल्पों, आश्वासनों तथा आश्वासनों की मॉनीटरिंग सहित लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। बहरहाल, ऐसे अतारांकित प्रश्नों और सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर रेल राज्य मंत्री (एम) के माध्यम से भेजे जाएंगे और अनुमोदनार्थ रेल मंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (vii) कर्मचारी कल्याण-अस्पताल एवं शैक्षिक सुविधाएं।
- (viii) वेतन आयोग से संबंधित मामले।
- (ix) केन्द्र सरकार के मामलों की सर्वोच्च न्यायालय में अथवा अन्यत्र प्रतिदिन 1050/- रुपए से अधिक की फीस पर पैरवी करने के लिए वकीलों की नियुक्ति करना।
- (x) वनरोपण।
- (xi) यांत्रिक तथा सिगनल एवं दूरसंचार विभाग से इतर अन्य विभागों के ग्रुप "बी", "सी" और "डी" कोटियों के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों से संबंधित ऐसे मामले जिनमें राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षणकर्ता प्राधिकारी हों।
- (xii) सिगनल एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित 100 करोड़ रुपए तक की मूल्य के भंडार की खरीद के मामले।
- (xiii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों: केआरसीएल की समीक्षा, उत्पादन कारखानों : डी.रे.का. एवं डी.आ. का. की समीक्षा


(xiv) कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के राज्यों में रेलवे कॉलोणियों सहित रेलवे संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा। राज्यों का दौरा करने के बाद, रिपोर्टें रेल मंत्री जी को भेजी जाएं।

(xv) जन शिकायतें।

2. रेल राज्य मंत्रियों की उपर्युक्त मदों से संबंधित कार्य की सभी फाइलें रेल मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएं।

3. राज्य मंत्रियों को स्पष्ट रूप से आबंटित नहीं किए गए सभी मामले माननीय मंत्री जी से सीधे संबंधित होंगे।

सं. 2009/ओ एंड एम/8/2
दिनांक: 29.07.2011


(विजय कुमार गुप्ता)
सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय एवं मेट्रो भवन, प्रगति मैदान के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्य.नि./रे.मं., कार्य.निदे.ज.शि./रे.मं. एवं निजी सचिव /रे.मं.,
नि.स./रे.रा.मं. (एम), का.नि. जन शि./रे.रा.मं. (एम),
नि.स./रे.रा.मं. (बी), का.नि. जन शि./रे.रा.मं. (बी)
महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., महानिदेशक/रेलवे स्टाफ कॉलेज।